

विधुत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

[राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा]

उपभोक्ता/स्वामी का नाम

पिता/पति का नाम

पता

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली-

(1) वोल्तता

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या

(3) ए0सी0/डी0सी0

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापना की विशिष्टियाँ-

	220/230 वोल्तस						400/440 वोल्तस		उच्च/अति उच्च वोल्तस	
	फेज-1		फेज-2		फेज-3		संख्या	कुल क्षमता	संस्थान	
	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स			संख्या	कुल वाट्स

1-

(1) बत्तियों के प्वाइंट

(2) पंखों के प्वाइंट

(3) प्लग प्वाइंट

(4) मोटरें/जनरेटर्स

(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

योग

2- अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया)

(1)

(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट में

अधिकतम करेंट माँग, एम्पियर में

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

विद्युत का रिसाव (विद्युतरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर बिनिर्दिष्ट किया जाये)।

ठेकेदार द्वारा विद्युत रोधी प्रति के परिक्षण का परिणाम-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(i) फेज एवं अर्थ के बीच

(ii) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 1

(iii) तारों के मध्य

नियम-29 :-

- बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार हैं।
- बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियन्त्रित है।
- बतायें कि समस्त स्विच बिद्युमन्य (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये।

नियम-32 :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थ वायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक की विद्युतमय (जीवन्त) चालक के सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यापत प्रमाण-पत्र)

M/s VINOD ENTERPRISES

मै/हम लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं।

- कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया।
- पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत निगम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
- उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया है।

वायरमैन का नाम परमित संख्या वैद्यता की तिथि

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम प्रमाण-पत्र सं० वैद्यता की तिथि

हस्ताक्षर

अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम-
लाइसेंस संख्या
लाइसेंस श्रेणी.....
वैद्यता का दिनांक.....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

घोषणा (उपभोक्ता द्वारा की जाये)

M/s VINOD ENTERPRISES

Pro.p

मे प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है । मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी ।

दिनांक

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट (सप्लायर प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

1. फेज एवं अर्थ के बीच

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 1

2. तार के बीच

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई हों) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

दिनांक

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षण कर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पद नाम

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

निरीक्षण का परिणाम

(विवरण संलग्न किया जाये)

निरीक्षण तिथि

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और

पद नाम